



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 958/2017

1-श्रीमती. बिरंची बाई सिरदार पति दिलभरन, उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम सलका, थाना और तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2 - दिलभरन पिता ऐतवार साय, उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी ग्राम सलका, थाना तथा तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़

..... अपीलार्थी/दावाकर्ता

बनाम

1 - गंगेश्वर राम, पिता स्वर्गीय सरजू राम , लगभग 46 वर्ष, वाहन के स्वामी, ग्राम कंदराई-बासेनपारा, थाना जैनगर, तहसील और जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ (स्वामि)।

2 - शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अंबेडकर चौक के पास, मनेन्द्रगढ़ रोड, थाना और तहसील अंबिकापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ (दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा कंपनी)।

3 - प्रेम साई, पिता केंडा राम , लगभग 65 वर्ष, ग्राम रतनपुर, थाना जैनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ जिला : जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

4 - मुन्नी बाई पति प्रेम साय, उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी ग्राम रतनपुर, थाना। जयनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, जिला: जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

अपीलकर्तागण हेतु ::--श्री सी. जयंत के. राव, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 1 हेतु:--श्री जय प्रकाश शुक्ला, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 2 हेतु:--श्री एच. पी. अग्रवाल, अधिवक्ता



विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 946/2018

गंगेश्वर राम पिता श्री सरजू राम, 49 वर्ष, माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान, अब 51 वर्ष, निवासी कंदरई, पी. पिता जैनगर, तहसील तथा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़। (अनावेदक सं 2/दुर्घटनाग्रस्त वाहन सं सी जी 15 सी यु 2031 के स्वामी) जिला : सूरजपुर, छत्तीसगढ़.

---अपीलार्थी/स्वामी

बनाम

1- प्रेम साय पिता गेदा उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी ग्राम-रतनपुर, थाना। जयनगर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़।
(दावाकर्ता)

2 - मुण्डी पति प्रेमसाई, 62 वर्ष , निवासी गाँव रतनपुर, निवासी एस. जैनगर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़।
(दावाकर्ता)

3 - द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपने शाखा प्रबंधक के माध्यम से, बनारस चौक, जुंदरडिहारी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। (दुर्घटनाग्रस्त वाहन सं सी जी 15 सी यु 2031 के बीमा कंपनी)

-----उत्तरवादीगण

अपीलार्थी हेतु ::--श्री जय प्रकाश शुक्ला, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 2 हेतु:--श्री एच. पी. अग्रवाल, अधिवक्ता

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 945/2018

गंगेश्वर राम पिता श्री सरजू राम, आयु लगभग 49 वर्ष, माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान अब 51 वर्ष, निवासी कंदरई, थाना जैनगर, तहसील और जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी/स्वामी

बनाम

1 - सनीरा बाई पिता स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद, 24 वर्ष, निवासी जो गाँव-कोरिया, निवासी एस.-जैनगर, तहसील तथा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ दावाकर्ता



- 2 - बसंती पति रामनाथ, उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी ग्राम-कोरेया, थाना-जयनगर, तहसील व जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़।दावाकर्ता
- 3 - हरीश पिता स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद (नाबालिग, अपनी माता सनिरा बाई के द्वारा,उत्तरवादी संख्या 1), आयु लगभग 4 वर्ष, निवासी ग्राम कोरेया, थाना जैनगर, तहसील और जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़।दावाकर्ता
- 4 - द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपनी शाखा प्रबंधक के माध्यम से, बनारस चौक, जंदरदिहारी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़।(दुर्घटनाग्रस्त वाहन सं सी जी 15 सी यु 2031 के बीमा कंपनी)
- 5 - रामनाथ पिता नकुर, आयु लगभग 50 वर्ष गाँव-कोरिया, निवासी पिता जैनगर, तहसील तथा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़।(दावाकर्ता)

-----उत्तरवादीगण

 अपीलार्थी हेतु :--श्री जय प्रकाश शुक्ला, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 4 हेतु :--श्री एच. पी. अग्रवाल, अधिवक्ता

न्यायमित्र के रूप में नियुक्त विद्वान अधिवक्ता: --श्री पंकज सिंह, श्री आकाश श्रीवास्तव, श्री सौरभ गुप्ता तथा सुश्री हरनीत कौर, अधिवक्ता

एकल पीठ.-माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

25.11.2025

1. चूंकि इन तीनों अपीलों में विधि और तथ्यों का एक ही प्रश्न है, इसलिए इन्हें एक साथ मिलाकर एक ही सुनवाई के माध्यम से निराकरण किया जा रहा है।
2. 20/05/2016 को एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें रीता, बीरबहादुर और दुर्गा प्रसाद नामक तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।रीता की मृत्यु के लिए, उसके माता-पिता, बिरंची बाई और दिलभरन ने अंबिकापुर स्थित तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद, 1988 का अधिनियम) की धारा 166 के तहत दावा प्रकरण संख्या 221/2016 दायर किया, जिसमें दिनांक 19/05/2017 के आक्षेपित निर्णय द्वारा दावा न्यायाधिकरण ने 50,000/- रुपये का क्षतिपूर्ति प्रदान किया और क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व बीमा कंपनी पर डाल दिया, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ताओं/दावाकर्ता ने क्षतिपूर्ति में वृद्धि की मांग करते हुए एमएसी/958/2017 दायर की है और बीमा कंपनी ने



छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994 की धारा 242(3) के साथ पढ़े गए सीपीसी के आदेश 41 नियम 22 के तहत प्रतिप अपील दायर किया है। बीरबहादुर की मृत्यु के प्रकरण में, उनके माता-पिता प्रेमसाई और मुंडी बाई ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सूरजपुर के समक्ष अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत दावा संख्या 123/2016 दायर किया, जिसमें दिनांक 07/04/2018 के निर्णय द्वारा दावा न्यायाधिकरण ने दावेदारों के पक्ष में 6,78,000 रुपये का क्षतिपूर्ति प्रदान किया और बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को पाते हुए, बीमा कंपनी को दोषमुक्त कर दिया और क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व वाहन के स्वामी गंगेश्वर राम पर डाल दिया। दुर्गा प्रसाद की मृत्यु के प्रकरण में, उनकी पत्नी, पुत्र और माता-पिता सनीरा बाई, हरीश, बसंती और रामनाथ ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सूरजपुर के समक्ष दावा संख्या 122/2016 दायर किया, जिसमें दिनांक 07/04/2018 के निर्णय द्वारा दावा न्यायाधिकरण ने 6,78,000 रुपये का क्षतिपूर्ति प्रदान किया। दावाकर्ता के पक्ष में 7,18,000/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया और क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी वाहन के स्वामी गंगेश्वर राम पर डाली गई तथा बीमा कंपनी को दोषमुक्त कर दिया गया। हम इन तीनों अपीलों पर एक-एक करके चर्चा करेंगे तथा निर्णय लेंगे।

पक्षकारों की प्रस्तुति: --

3. एमएसी/958/2017 में अपीलकर्ताओं/दावाकर्ता के विद्वान वकील श्री सी. जयंत के. राव ने निवेदन किया कि अंबिकापुर दावा न्यायाधिकरण का यह मानना सरासर अनुचित है कि मृतक विवाहित पुत्री के माता-पिता होने के नाते दावाकर्ता विवाह के बाद आश्रित न होने के कारण आश्रितता की हानि के तहत क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। अतः, आक्षेपित अधिनिर्णय में संशोधन किया जाए और क्षतिपूर्ति की राशि में उचित वृद्धि की जाए। इसके अलावा, वाहन के सह-स्वामी गंगेश्वर राम के विरुद्ध बीमा कंपनी द्वारा दायर की गई प्रति-आपत्ति सुनवाई योग्य नहीं है।

4. उत्तरवादी – बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता श्री एच.पी. अग्रवाल ने निवेदन किया कि यह ऐसा प्रकरण है जिसमें वाहन का संचालन बीमा पॉलिसी की शर्तों और नियमों के उल्लंघन में किया जा रहा था, इसलिए बीमा कंपनी दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी और इसके अलावा, बीमा कंपनी द्वारा एमएसी/958/2017 में दायर की गई प्रति-आपत्तियाँ, उर्मिला देवी और अन्य बनाम शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य 1 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में स्वीकार्य होंगी।

5. एमएसी/946/2018 और एमएसी/945/2018 में मालिक/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जय प्रकाश शुक्ला ने यह तर्क दिया कि दावा न्यायाधिकरण, सूरजपुर ने बीमा कंपनी को दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी से मुक्त करने में गलती की है और चूंकि बीमा कंपनी एमएसी/958/2017 में दिए गए निर्णय को पहले ही पूरा कर चुकी है, इसलिए वे वर्तमान प्रकरण में भी क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।



विविध क्षतिपूर्ति सं /958/2017: --

6. इस अपील में विचारणीय प्रश्न दो प्रकार के हैं: --

(i) क्या मृतक की विवाहित पुत्री के माता-पिता होने के नाते दावाकर्ता को उसका विधिक प्रतिनिधि माना जा सकता है और क्या वे 1988 के अधिनियम की धारा 166 के तहत आश्रितता की हानि के लिए क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे?

(ii) क्या बीमा कंपनी द्वारा दायर प्रतिप-अपील, उत्तरवादी संख्या 2 होने के नाते, सह-उत्तरवादी अर्थात् उत्तरवादी संख्या 1 के विरुद्ध बनाए रखने योग्य है?

प्रश्न सं. (i) का उत्तर: --

7. अंबिकापुर दावा न्यायाधिकरण ने इस आधार पर निर्णय लिया कि मृतक रीता का विवाह पहले ही संपन्न हो चुका था और विदाई के बाद वह अपने ससुराल जा रही थी, तभी दुर्घटना हुई। इसलिए, दावाकर्ता/उसके माता-पिता आश्रितता की हानि के तहत क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। न्यायाधिकरण ने मानसिक पीड़ा/प्यार और स्नेह की हानि के तहत 50,000 रुपये का क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया और क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व बीमा कंपनी पर डाल दिया, जिसका भुगतान बीमा कंपनी ने कर दिया है। 8. इस स्तर पर, 1988 के अधिनियम की धारा 166 (1) के तहत निहित प्रावधान पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें कहा गया है: --

"168. क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन।-

(1) धारा 165 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है

(अ)XXXXXXXXXX

(ख)XXXXXXXXXX

(ग) यदि दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, तो मृतक के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा; या

(घ) घायल व्यक्ति या मृतक के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी अभिकर्ता द्वारा, जैसा भी प्रकरण हो।"

9. इसके अलावा, 1988 के अधिनियम की धारा 168 में यह अनिवार्य है कि दावा न्यायाधिकरण क्षतिपूर्ति की वह राशि निर्धारित करेगा जो उसे उचित प्रतीत होती है और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करेगा जिन्हें ऐसा क्षतिपूर्ति दिया जाएगा।

10. यह ध्यान देने योग्य है कि 1988 का अधिनियम 'विधिक प्रतिनिधि' को परिभाषित नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम रमनभाई प्रभातभाई के प्रकरण



में यह अभिनिर्धारित किया है कि 1939 के अधिनियम की धारा 110-ए (1988 के अधिनियम की धारा 166 के समान) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति, घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 की धारा 1-ए में वर्णित संकीर्ण 'पत्नी, पति, माता-पिता और बच्चे' की तुलना में जानबूझकर व्यापक है, और यह कि विधि के अनुसार मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला या मृत्यु के कारण पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि के रूप में योग्य हो सकता है। रिपोर्ट के कंडिका 11 तथा 13, प्रासंगिक होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: --

"11. अधिनियम की धारा 110-ए की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) में यह प्रावधान है कि दुर्घटना से उत्पन्न क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन, जहां दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई हो, मृतक के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा या मृतक के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अधिकृत किसी एजेंट द्वारा किया जा सकता है। धारा 110-ए की उपधारा (1) के परंतुक में यह प्रावधान है कि जहां मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि ऐसे किसी क्षतिपूर्ति के आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं, वहां आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा और वे विधिक प्रतिनिधि जो इस प्रकार शामिल नहीं हुए हैं, आवेदन में उत्तरवादी के रूप में शामिल किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में "विधिक प्रतिनिधि" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(11) के अनुसार, "विधिक प्रतिनिधि" वह व्यक्ति है जो विधिवत किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो मृत व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करता है। साथ ही, यदि कोई पक्ष प्रतिनिधि के रूप में वाद करता है या उस पर वाद किया जाता है, तो वह व्यक्ति भी शामिल है जिस पर वाद करने वाले या जिस पर वाद किया जाता है, उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होता है। उपरोक्त परिभाषा, निःसंदेह, दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मामले पर लागू नहीं होती है, लेकिन यह कहना आवश्यक है कि सामान्य बोलचाल में भी इस शब्द का अर्थ लगभग उसी तरह समझा जाता है जिस तरह सिविल प्रक्रिया संहिता में इसे परिभाषित किया गया है। विधिक प्रतिनिधि का सामान्य अर्थ वह व्यक्ति है जो विधिवत किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है या वह व्यक्ति जिस पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होता है। अधिनियम की धारा 110-ए की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत मृतक के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधि को मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के लिए दावा न्यायाधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार है, और उसी उपधारा के खंड (ग) के तहत मृतक के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी एजेंट को आवेदन करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 110-ए की उपधारा (1) का परंतुक विशेष महत्व रखता है। इसमें यह प्रावधान है कि क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा। अधिनियम की धारा 110-ए(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि (i) मृतक के विधिक प्रतिनिधियों या उनके एजेंट द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है, और (ii) ऐसा आवेदन सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम की धारा 110-ए में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और जिनके लाभ के लिए ऐसा आवेदन किया जा सकता है।



यह धारा एक प्रकार से, ऊपर बताए गए हद तक, घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 की धारा 1-ए के प्रावधानों का स्थान लेती है, जिसमें कहा गया है कि "ऐसा प्रत्येक वाद या कार्यवाही मृतक की पत्नी, पति, माता-पिता और संतान (यदि कोई हो) के लाभ के लिए होगी, और मृतक के निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि द्वारा और उनके नाम से दायर की जाएगी"। जबकि घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 में यह प्रावधान है कि ऐसा वाद मृतक की पत्नी, पति, माता-पिता और संतान के लाभ के लिए होगा। अधिनियम की धारा 110-ए(1) के अनुसार, आवेदन मृतक के विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा। किसी विशेष मामले में विधिक प्रतिनिधि का पत्नी, पति, माता-पिता या संतान होना अनिवार्य नहीं है। अधिनियम की धारा 110-बी से यह भी स्पष्ट है कि दावा न्यायाधिकरण को उचित समझे जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करने और क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है। यह प्रावधान घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 की धारा 1-ए के तीसरे कंडिका का स्थान लेता है, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय उन पक्षों को, जिनके लिए और जिनके लाभ के लिए वाद दायर किया गया है, ऐसी मृत्यु से हुए नुकसान के अनुपात में उचित क्षतिपूर्ति दे सकता है। जिन व्यक्तियों के लाभ के लिए ऐसा आवेदन किया जा सकता है और जिन व्यक्तियों के लाभ के लिए आवेदन किया गया है, उनके बीच क्षतिपूर्ति का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 110-ए और धारा 110-बी में किया गया है, और इस विस्तार तक मोटर वाहन दुर्घटनाओं के संबंध में अधिनियम के प्रावधान घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधानों को अधिभावी करते हैं। ये प्रावधान मात्र प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं हैं। ये पक्षों के अधिकारों को मौलिक रूप से प्रभावित करते हैं। चूंकि घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 द्वारा सृजित कार्रवाई का अधिकार "अपनी प्रकृति में नया, अपनी गुणवत्ता में नया, अपने सिद्धांतों में नया, हर मायने में नया" था, इसलिए मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दाखिल करने का विधिक प्रतिनिधियों को दिया गया अधिकार भी उतना ही नया और विस्तृत है। इस नए अधिकार को घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत कार्यवाही की सभी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। नई परिस्थितियां और नए खतरे नई रणनीतियों और नए उपायों की मांग करते हैं।

13. हमारा मानना है कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण न्याय, निष्पक्षता और सद्भावना के सिद्धांतों के अनुरूप है। किसी मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु से पीड़ित प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि को क्षतिपूर्ति की प्राप्ति का उपाय मिलना चाहिए, और यह उपाय अधिनियम की धारा 110-ए से 110-एफ में प्रदान किया गया है। ये प्रावधान अपकृत्य विधि के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक क्षति का उपाय होना चाहिए। मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण को अधिनियम की धारा 110-बी के अनुसार उचित क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने का दायित्व है जिन्हें क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण और अधिनियम की धारा 110-बी के अनुसार उन विधिक प्रतिनिधियों के बीच इसका विभाजन, जिनके लाभ के लिए अधिनियम की धारा 110-ए के तहत आवेदन दायर किया जा



सकता है, सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक भारतीय परिवार में भाई-बहन, भाई के बच्चे और कभी-कभी दत्तक लिए हुए बच्चे एक साथ रहते हैं और वे परिवार के भरण-पोषण करने वाले पर निर्भर होते हैं। यदि मोटर वाहन दुर्घटना के कारण भरण-पोषण करने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए उन्हें क्षतिपूर्ति देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है, जिसे जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित प्रकरण के संबंध में अधिनियम में निहित प्रावधानों द्वारा पर्याप्त रूप से संशोधित किया गया है।"

11. इसके अलावा, मंजुरी बेरा बनाम ओरिएंटल इंडियोरेंस कंपनी लिमिटेड 3 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने आवेदन करने के अधिकार (जो किसी भी विधिक प्रतिनिधि से संबंधित है) और निर्भरता के आधार पर हकदारी की सीमा के बीच स्पष्ट अंतर किया। कंडिका 12 तथा 13 में इसे इस प्रकार देखा गया है: --

"12. जैसा कि इस न्यायालय ने बैंको नेशनल अल्ट्रामारिनो की शाखाओं के संरक्षक बनाम नलिनी बाई नाइक [1989 अनुपूरक (2) एससीसी 275 :एआईआर 1989 एससी 1589] मामले में कहा है, सीपीसी की धारा 2(11) में दी गई परिभाषा समावेशी प्रकृति की है और इसका दायरा व्यापक है; यह केवल विधिक वारिसों तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय, इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, जो मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो भी सकता है और नहीं भी, मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसमें उत्तराधिकारी और वे व्यक्ति शामिल हैं जो मृतक की संपत्ति के निष्पादक या प्रशासक के रूप में, भले ही उनके पास संपत्ति का कोई अधिकार न हो, संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति "विधिक प्रतिनिधि" शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि गुजरात एसआरटीसी बनाम रमनभाई प्रभातभाई [(1987) 3 एससीसी 234 :1987 एससीसी (क्रिमिनल) 482 :एआईआर 1987 एससी 1690] में देखा गया है कि एक विधिक प्रतिनिधि वह होता है जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु से पीड़ित होता है और जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता-पिता और बच्चा ही हो।

13. ऐसे कई कारक हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 140 के तहत दायित्व आश्रितता के अभाव के कारण समाप्त नहीं होता है। दावा आवेदन दाखिल करने के अधिकार पर विचार करते समय पात्रता के अधिकार को ध्यान में रखना आवश्यक है। राशि का आकलन करते समय, आश्रितता के अभाव के कारण गुणक प्रणाली लागू की जाती है। दूसरे शब्दों में, गुणक एक मापक है। पात्रता के प्रश्न का आकलन करते समय तीन चरण होते हैं। पहला, उत्तरदायी व्यक्ति का दायित्व और यदि कोई दायित्व है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने वाले व्यक्ति का दायित्व। अगला चरण मात्रा निर्धारण है और धारा 166 मुख्य रूप से वसूली कार्यवाही से संबंधित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 140 के तहत दायित्व आश्रितता के अभाव के कारण समाप्त नहीं होता है।"



12. केरल उच्च न्यायालय ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शालुमोल 4 के मामले में यह पता लगाया कि कैसे मोटर वाहन अधिनियम जानबूझकर 'आश्रित' के बजाय 'कानूनी प्रतिनिधि' शब्द का प्रयोग करता है और यह उल्लेख किया है कि 'आश्रित' को 1939 या 1988 के अधिनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है और रमनभाई प्रभातभाई (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए यह माना कि कानूनी प्रतिनिधियों की श्रेणी घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत पति/पत्नी-माता-पिता-बच्चे के सूत्र से व्यापक है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आश्रितता केवल आश्रितता की हानि का आकलन करने का एक मानदंड है और अन्य आर्थिक और गैर-आर्थिक मद्दों का दावा करने का एकमात्र आधार नहीं है, परंतु कि दावाकर्ता विधि में विधिक प्रतिनिधि हो। उस प्रकरण में, केरल उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से एक विवाहित पुत्री और वृद्ध माता-पिता के मामले पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि विवाहित पुत्री और साथ ही सत्तर वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता मृतक के आश्रित हैं और आश्रितता की हानि के लिए गुणक-आधारित पूर्ण मुआवजे के हकदार हैं, साथ ही माता-पिता की आश्रितता को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण-पोषण के वैधानिक कर्तव्य से जोड़ा।

13. मद्रास उच्च न्यायालय ने ग्लोरी बाई बनाम एस.के.ए. नूरजकन बीवी 5 के मामले में इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु मृतक विवाहित पुत्री के माता-पिता को उसके आश्रित माना जा सकता है और संवैधानिक सिद्धांतों, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत वैधानिक दायित्वों तथा मोटर वाहन अधिनियम की कल्याणकारी प्रकृति के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया है तथा रमनभाई प्रभातभाई (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक विवाहित पुत्री के माता-पिता 1988 के अधिनियम की धारा 166(1)(सी) के अर्थ में विधिक प्रतिनिधि हैं। आश्रितता के मूल विवाहक पर मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पुत्री के विवाह से माता-पिता की आश्रितता समाप्त नहीं होती और मृतक पुत्र के माता-पिता को आश्रित मानना तथा मृतक विवाहित पुत्री के माता-पिता को आश्रित न मानना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवाहित पुत्रियों के माता-पिता को विधिवत रूप से आश्रित माना जाता है, वे केवल विधिक प्रतिनिधि नहीं हैं और फलस्वरूप, वे आश्रितों के रूप में पूर्ण क्षतिपूर्ति के हकदार हैं, न कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के तहत केवल दोषरहित क्षतिपूर्ति तक सीमित हैं।

14. सर्वोच्च न्यायालय ने दीप शिखा बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 6 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि है कि मृतक की मां, हालांकि मृतक एक विवाहित बेटा थी, आश्रित के रूप में क्षतिपूर्ति की हकदार थी। माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक बुजुर्ग अभिभावक, विशेषकर जिनके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है, उन्हें 1988 के अधिनियम की धारा 166 के प्रयोजनों के लिए आश्रित माना



जाना चाहिए और उच्च न्यायालय ने केवल आश्रित न होने के आधार पर क्षतिपूर्ति से इनकार करके गलती की है। कंडिका 16 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है: --

"16. माता-पिता के वृद्धावस्था में भरण-पोषण करने का दायित्व बच्चे का उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि माता-पिता का अपने बच्चे के नाबालिग होने के दौरान भरण-पोषण करने का दायित्व। मृतक, एकमात्र कमाने वाला होने के नाते, इस दायित्व को पूरा कर रहा था, जिससे अपीलकर्ता संख्या 2 की आश्रित स्थिति और भी पुष्ट होती है। इसलिए, मृतक की असामयिक मृत्यु से अपीलकर्ता संख्या 2 को भविष्य में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक कठिनाई/तंगी उत्पन्न हो सकती है। यद्यपि यह मान भी लिया जाए कि दुर्घटना के समय अपीलकर्ता संख्या 2 मृतक पर आश्रित नहीं था, तो भी भविष्य में आश्रित होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"

15. उपरोक्त विधिक चर्चा के आलोक में, मेरा यह सुविचारित मत है कि अंबिकापुर दावा न्यायाधिकरण ने यह मानने में त्रुटि की है कि अपीलकर्ता/दावेदार मृतक की विवाहित पुत्री होने के नाते उनकी विधिक प्रतिनिधि या आश्रित नहीं हैं और आश्रितता हानि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। अपीलकर्ता/दावाकर्ता उसी क्षतिपूर्ति के हकदार हैं जो मृतक पुत्र के माता-पिता को दिया जा सकता है।

प्रश्न सं. (ii) का उत्तर: --

16. उत्तरवादी संख्या 2/बीमा कंपनी ने छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994 की धारा 242(3) के साथ पठित सीपीसी के आदेश 41 नियम 22 के तहत प्रतिप-अपील दायर की है, जिसमें दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति के भुगतान की देयता से छूट और वाहन के मालिक गंगेश्वर राम से ब्याज सहित जमा राशि यानी 53,030/- रुपये की वसूली की मांग की गई है। हालांकि, अपीलकर्ताओं/दावाकर्ता ने आपत्ति जताई है कि सह-उत्तरवादी अर्थात् उत्तरवादी संख्या 1/वाहन के मालिक के खिलाफ उत्तरवादी संख्या 2/बीमा कंपनी द्वारा दायर की गई प्रतिप-अपील विचारणीय नहीं है।

17. इस स्तर पर, छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994 (इसके बाद, 1994 के नियम) की धारा 272(3) में निहित प्रावधान पर ध्यान देना सुसंगत होगा, जो इस प्रकार है: --

"242. अपील का रूप तथा ज्ञापन की सामग्री।-

(1) XXX XXX

(2) XXXXXXXXXXXX

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (V ऑफ 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXI और आदेश XLI के उप-नियम (1) और (2) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, धारा 173 के तहत उच्च न्यायालय में दायर अपीलों पर यथावश्यक परिवर्तन लागू होंगे।"



18. 1994 के नियमों के नियम 242(3) के अनुसार, जब तक उप-नियम (1) और (2) द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत न किया गया हो, अपील न्यायालय की दाखिल करने, स्वीकार्यता, सुनवाई, निर्णय और शक्तियों से संबंधित आदेश 41 की प्रक्रियात्मक संरचना, 1988 के अधिनियम की धारा 173 के तहत दायर अपीलों पर पूर्ण रूप से लागू होती है।

19. यह प्रश्न कि क्या उत्तरवादी सह-उत्तरवादी के विरुद्ध प्रतिप-आपत्ति या प्रतिप-अपील दायर कर सकता है, अब कोई नया विवादक नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने पन्ना लाल बनाम बॉम्बे राज्य मामले में इस पर निर्णय दे दिया है। पन्ना लाल बनाम बॉम्बे राज्य 7 में यह कहा गया है कि केवल असाधारण मामलों में ही, जैसे कि जब किसी आपत्ति में अपीलकर्ता के विरुद्ध मांगे गये अनुतोष अन्य उत्तरवादी को दिये गये अनुतोष के साथ मिश्रित हो, जिससे कि आपत्ति करने वाले उत्तरवादी और अन्य उत्तरवादी के बीच प्रश्न को पुनः खोले बिना अपीलकर्ता को राहत नहीं दी जा सकती है, तभी आदेश 41 नियम 22 के तहत अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की जा सकती है। रिपोर्ट के कंडिका 18 में कहा गया है: --

"18. हमारी राय में, सभी उच्च न्यायालयों द्वारा अब स्वीकार किया गया यह मत कि आदेश 41 नियम 22 सामान्य नियम के रूप में प्रतिवादी को केवल अपीलकर्ता के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने की अनुमति देता है, और केवल असाधारण मामलों में, जैसे कि जब अपीलकर्ता के विरुद्ध ऐसी आपत्ति में मांगी गई राहत अन्य प्रतिवादियों को दी गई राहत के साथ मिश्रित हो, जिससे आपत्ति करने वाले प्रतिवादी और अन्य प्रतिवादियों के बीच प्रश्न को पुनः खोले बिना अपीलकर्ता को अनुतोष नहीं दी जा सकती है, तभी आदेश 41 नियम 22 के तहत अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की जा सकती है, सही है। पुरानी धारा 561 के तहत स्थिति चाहे जो भी रही हो, आदेश 41 नियम 22 में "प्रति-आपत्ति शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से विधायिका के इस आशय को व्यक्त करता है कि आपत्ति अपीलकर्ता के विरुद्ध ही दर्ज की जानी चाहिए। जैसा कि राजमन्नार, मुख्य न्यायाधीश ने वेंकटेश्वरलू बनाम रामनमा [आईएलआर (1950) मद्रास, 874] मामले में कहा था: विधानमंडल ने प्रतिवादी द्वारा उठाई जा सकने वाली आपत्ति को "प्रति-आपत्ति" के रूप में वर्णित करके अन्य उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण को जानबूझकर अपनाया होगा। उत्तरवादी द्वारा उठाई गई ऐसी आपत्ति को, जिसमें अपीलकर्ता का कोई हित न हो, प्रति-आपत्ति नहीं माना जा सकता। अपील अपीलकर्ता द्वारा उत्तरवादी के विरुद्ध है। प्रति-आपत्ति उत्तरवादी द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध ही उठाई जानी चाहिए। हमारा मानना है कि ये टिप्पणियाँ मामले को स्पष्ट और सही ढंग से प्रस्तुत करती हैं। यह बात कि विधायिका विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी प्रभावी बनाना चाहती थी कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, असाधारण मामलों में एक प्रतिवादी द्वारा सह-प्रतिवादी के खिलाफ आपत्ति दर्ज की जा सकती है, तीसरे अनुच्छेद में "अपीलकर्ता" शब्द के स्थान पर "वह पक्ष जो ऐसी आपत्ति से प्रभावित हो सकता है" शब्दों का प्रयोग करके इंगित किया गया है।"

20. इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने महंत धंगीर और अन्य बनाम मदन मोहन और अन्य 8 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक उत्तरवादी द्वारा दूसरे सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रति-आपत्ति तब स्वीकार्य है



जब कुछ पक्षों द्वारा अपील का प्रभावी ढंग से निराकरण उत्तरवादी के बीच मामले को खोले बिना नहीं किया जा सकता है या ऐसे मामले में जहां अपीलकर्ता और सह-उत्तरवादी के विरुद्ध आपत्तियां समान हों। यह निम्नानुसार देखा गया है: --

"12. सामान्यतः, प्रतिवाद अपीलकर्ता के विरुद्ध उठाया जा सकता है। इस सामान्य नियम का अपवाद मात्र यह है कि एक उत्तरवादी दूसरे उत्तरवादी के विरुद्ध आपत्ति उठा सकता है। ऐसे अपवाद मामलों की संख्या भी बहुत सीमित है। हम ऐसे एक-दो मामलों पर ही विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कुछ पक्षों द्वारा दायर अपील का निराकरण उत्तरवादी के बीच मामले को दोबारा खोले बिना प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है। या फिर ऐसे मामले में जहां अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों के विरुद्ध आपत्तियां समान हों। ऐसे मामलों में न्यायालय सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रति-आपत्तियों पर विचार करेगा। इस संबंध में कानून इस न्यायालय द्वारा 1964 में पन्नालाल बनाम बॉम्बे राज्य [(1964) 1 एससीआर 980 पृष्ठ 991-92 : एआईआर 1963 एससी 1516] के मामले में स्पष्ट किया गया है।"

21. वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी संख्या 2 - बीमा कंपनी ने उत्तरवादी संख्या 1 - वाहन के मालिक गंगेश्वर राम के विरुद्ध प्रति-आपत्ति दर्ज की है, और उनका यह तर्क नहीं है कि आपत्तियाँ अपीलकर्ता और सह-उत्तरवादी - वाहन के मालिक के विरुद्ध समान हैं। यह भी मामला नहीं है कि प्रतिवादियों के बीच मामले को खोले बिना अपील का निराकरण नहीं किया जा सकता है। बीमा कंपनी ने अपनी देनदारी पर सवाल उठाते हुए कोई अपील दायर नहीं की, और जब अपीलकर्ताओं/दावेदारों ने मुआवजे में वृद्धि की मांग करते हुए अपील दायर की, तब बीमा कंपनी ने यह प्रति-आपत्ति दायर की, जो मेरी राय में कोई अपवाद नहीं है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पन्ना लाल (उपरोक्त) और महंत धंगीर (उपरोक्त) के मामलों में स्पष्ट किया है। इसलिए, मैं यह मानता हूँ कि उत्तरवादी - बीमा कंपनी द्वारा सह-प्रतिवादी - वाहन के मालिक के खिलाफ दायर की गई प्रति-आपत्ति विचारणीय नहीं है, क्योंकि यह सह-उत्तरवादी अर्थात् वाहन के मालिक के खिलाफ निर्देशित है, और इसे खारिज किया जाता है। इसके अलावा, चूंकि बीमा कंपनी पहले ही अधिनिर्णय राशि की देनदारी पूरी कर चुकी है, इसलिए वे दावेदारों को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसे इस न्यायालय द्वारा बढ़ाया जा रहा है।

क्षतिपूर्ति की मात्रा: --

22. उपरोक्त चर्चा के आलोक में और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रकरण में दिए गए निर्णयों के आधार पर: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी 9, सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और अन्य 10 तथा मैम्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @ चुहरु राम और अन्य 11, यह न्यायालय निम्नलिखित अनुसार क्षतिपूर्ति की गणना कर रहा है: --



सरल क्रमांक	शीर्ष	क्षतिपूर्ति
1)	आय	रु. 6, 000 x 12 = रु 72, 000/-
2)	भविष्य की संभावना	(+) 40% अर्थात रु. 28, 800/- = रु। 1,00,800 -
3)	कटौती	(-) 1/3 अर्थात रु. 33, 600/- = रु 67, 200/-
4	गुणक	(x) 18 = रु 12,09,600 -
5	संपत्ति का नुकसान	रु. 18, 000/-
6	अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 18, 000/-
7	वैवाहिक संघ का नुकसान	रु. 48, 000/- x 2 = रु 96, 000/-
	कुल	रु. 13,41,600 -

23. उपरोक्त विश्लेषण के तहत, दावा न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की गई 50,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाकर 13,41,600/- रुपये कर दिया गया है। अतः, अपीलकर्ताओं/दावेदारों को 12,91,600/- रुपये की अतिरिक्त राशि का हकदार माना जाता है। उत्तरवादी संख्या 2/बीमा कंपनी को इस न्यायालय द्वारा बढ़ाये गये क्षतिपूर्ति की राशि को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर जमा करने का निर्देश दिया जाता है। क्षतिपूर्ति की अतिरिक्त राशि पर न्यायाधिकरण के समक्ष दावा आवेदन दाखिल करने की तिथि, अर्थात् 28/09/2016 से भुगतान होने तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

विविध क्षतिपूर्ति सं/946/2018 तथा विविध क्षतिपूर्ति सं/945/2018: --

24. इन दोनों प्रकरण में, सूरजपुर दावा न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था और वाहन के मालिक गंगेश्वर राम पर क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व निर्धारित किया गया। हालांकि, यहां मालिक/अपीलकर्ता का कहना है कि चूंकि बीमा कंपनी को एमएसी/958/2017 में दावाकर्ता बिरंची बाई और दिलभरन को क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व सौंपा गया था और उन्होंने पहले ही क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान कर दिया है और अधिनिर्णय को पूरा कर दिया है, इसलिए इन दोनों प्रकरण में भी बीमा कंपनी दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

25. इस संबंध में, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बी.यू. चैतन्य बनाम प्रबंध निदेशक, बंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और अन्य 12 के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है जिसके अंतर्गत यह अभिनिर्धारित किया गया है: "10. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दावाकर्ता और मृतक की पुत्री



रचना ने एम.वी.सी. संख्या 3005, 3006 और 3160 वर्ष 1999 में तीन दावा याचिकाएँ दायर की थीं। सभी दावा याचिकाओं को 31.7.2002 के एक सामान्य निर्णय और अधिनिर्णय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। निगम ने रचना द्वारा दायर एम.वी.सी. संख्या 3160 वर्ष 1999 के निर्णय और अधिनिर्णय को चुनौती नहीं दी है। यह विवादित नहीं है कि निगम ने उक्त अधिनिर्णय का भुगतान कर दिया है। यदि ऐसा है, तो निगम अन्य दो दावा याचिकाओं में क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने का तर्क देने से विवश है। "यह सर्वविदित है कि एक बार निगम द्वारा दुर्घटना को स्वीकार कर लेने और किसी दावा याचिका के संबंध में क्षतिपूर्ति दे देने के बाद, वह उसी दुर्घटना से उत्पन्न अन्य दावा याचिकाओं में अपनी देयता के संबंध में कोई भिन्न रुख नहीं अपना सकता है। उन्हें ऐसा करने से रोका जाता है।"

26. वर्तमान प्रकरण में, चूंकि बीमा कंपनी ने एक प्रकरण में अर्थात् एमएसी/958/2017 में दिए गए अधिनिर्णय का भुगतान कर दिया है, इसलिए वे इन दोनों प्रकरण अर्थात् एमएसी/946/2018 और एमएसी/945/2018 में दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी हैं, जो कि उसी दुर्घटना (एमएसी/958/2017) से उत्पन्न हुए हैं। अतः, सूरजपुर स्थित दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में संशोधन किया जाता है और स्वामी के बजाय बीमा कंपनी को दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।

निष्कर्ष: --

27. उपरोक्त चर्चा और विश्लेषण के आलोक में, दावाकर्ता बिरंची बाई और दिलभरन द्वारा दायर एम. ए. सी/958/2017 को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है, जबकि बीमा कंपनी द्वारा दायर प्रति-आपत्ति को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज किया जाता है। स्वामी द्वारा दायर अपीलें, अर्थात् एम. ए. सी/946/2018 तथा एम. ए. सी/945/2018, स्वीकार की जाती हैं और बीमा कंपनी दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है।

28. अभिलेख प्रस्तुत करते हुए, हम श्री पंकज सिंह, श्री आकाश श्रीवास्तव, सुश्री हरनीत कौर और श्री सौरभ गुप्ता, विद्वान एमिकस क्यूरी द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करते हैं, जिन्होंने न केवल कम समय में प्रकरण की विस्तृत पैरवी की, बल्कि सुसंगत विधिक स्थिति को भी मेरे संज्ञान में लाया गया।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

